<u>न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः कमालुद्दीन, एच०जे०एस० "कृते"

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 2690

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 194/2026</u>

(C.N.R. UPET010004722026)

1. राजीव उर्फ बब्लू शर्मा उम्र करीब 56 वर्ष पुत्र भद्रदेव,
2. सचिन उर्फ कृष्णा शर्मा उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र राजीव उर्फ बब्लू शर्मा,
   निवासीगण ग्राम सौंगरा, थाना पिलुआ, जिला एटा।

–––––आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–05/2026
धारा–316(2) बी०एन०एस०
थाना–पिलुआ, जिला एटा।

<u>10.03.2026</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **राजीव उर्फ बब्लू शर्मा** एवं **सचिन उर्फ कृष्णा शर्मा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**05/2026** धारा–**316(2) बी०एन०एस०,** थाना–**पिलुआ**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि बबलू शर्मा व कृष्णा शर्मा ने बतौर जमीन बेचने के लिये वादी सुमित कुमार उपाध्याय से एडवांस के तौर पर लगभग 14 माह पूर्व 16,00,000/– रुपये कैश के तौर पर वीडियो के साथ लिये। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वादी के पास है। उस समय वादी के साथ बबलेन्द्र व रूपेन्द्र मौजूद थे। उक्त व्यक्ति जमीन का बैनामा करने से मना कर रहे हैं व उसके पैसे को वापस नहीं कर रहे है, जिससे वादी मानसिक रूप से परेशान है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण निर्दोष है। उन्हें झूठा नामित किया गया है, जबकि उन्होंने प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है। घटना किस दिनांक की है, आवेदक/अभियुक्तगण ने कब घटना कारित की है, प्र०सू०रि० में वर्णित कथाकथित वीडियो कब का है और किसके द्वारा रिकॉड किया गया है, यह वादी मुकद्दमा ने अपनी सम्पूर्ण प्र०सू०रि में कहीं भी अंकित नहीं किया है, जबकि घटना की सूचना थाना हाजा पर दिनांक 12.01.2026 समय करीब 20:38 बजे देकर प्र०सू०रि दर्ज करायी गयी है। वास्तविकता यह है कि वादी द्वारा अपनी प्र०सू०रि० में वर्णित कथाकथित वीडियो जो दर्शाया जा रहा है वह वीडियो तब का है, जब वादी मुकद्दमा आवेदक/अभियुक्तगण की सगी चाची श्रीमती रीता शर्मा व बहन कु० ख्याती की जमीन खरीदने वास्ते उनके घर आया था और बतौर एडवांस 09 लाख रूपया दिया और सम्पूर्ण जमीन 49,50,000/–रू0 में बेचना तय किया था। चूँकि उक्त जमीन की सरकारी कीमत 40,50,000/– रू० थी, इसलिए वादी मुकद्दमा ने अपना स्टाम्प बचाने के चक्कर में एडवांस के 09 लाख रू0 का जिक्र बैनामा में नहीं कराया था। आवेदक/अभियुक्तगण की चाची श्रीमती रीता शर्मा व बहन कु० ख्याती जिला हाथरस में रहती हैं, इसलिए उनकी तरफ से उनकी जमीन जायदाद का रख रखाब व खरीद फरोस्त करने की जिम्मेदारी आवेदक/

अभियुक्त राजीव शर्मा पर ही थी। आवेदक/अभियुक्तगण की चाची द्वारा वादी मुकद्दमा के पक्ष में दिनाँक 16.10.2024 को रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया है। वादी मुकद्दमा द्वारा पूर्व में भी इस सम्बंध में एक प्रार्थना–पत्र थाना हाजा पर व एक प्रार्थना–पत्र आई०जी०आर०एस 0 के द्वारा भी दिया था, जिसकी जाँच एस०आई 0 अनिल कुमार द्वारा की गयी थी, तो उसमें वाक्यात को दौरान जाँच को झूठा पाते हुए उक्त दोनों प्रा०पत्र का निस्तारण कर दिया गया था। उनके विरूद्ध कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जन साक्षी नहीं है। उनका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ***श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 सरकार एवं एक अन्य, 2025 AHC 136034*** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहाँ आरोप–पत्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी किये बिना दाखिल किया गया है और अन्वेषण अधिकारी ने सम्पूर्ण जाँच अवधि में अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता अनुभव नहीं की हो अथवा अभियुक्तगण ने अन्वेषण में पूर्ण सहयोग प्रदान किया हो, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का औचित्य नहीं है तथा वह अग्रिम जमानत/संरक्षण आदेश प्राप्त करने अथवा उस पर निरन्तर लाभान्वित होने का अधिकारी होगा।

केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप–पत्र किता किया जा चुका है। विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है एवं उनके द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है। सम्बन्धित अपराध सात वर्ष से कम सजा से दण्डनीय है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण का इस मामले के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **राजीव उर्फ बब्लू शर्मा** एवं **सचिन उर्फ कृष्णा शर्मा** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**05/2026,** धारा–**316(2) बी०एन०एस०,** थाना–**पिलुआ**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त को रूपये पचास–पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि का एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 10.03.2026 कृते सत्र न्यायाधीश, एटा।